पत्रांक 861/1–8, दिनांक 9–03–18

वन विभाग, उत्तराखण्ड

विधिक सहायता (Legal Support) हेतु ''बार काउंसिल'' में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पूर्णकालिक संविदा के आधार पर आबद्ध किये जाने हेतु आवेदन के लिए आमंत्रण

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3643(1)/X–1– 2017–14(06)/2000A दिनांक 13–12–2017 के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं अन्य न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों में उत्तराखण्ड वन विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड शासन की ओर से वादों की पैरवी तथा अन्य विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं से दिनांक 31–03–2018 के अपरान्ह 4:00 बजे तक आवेदन–पत्र पंजीकृत डाक से आमंत्रित किये जाते हैं। किसी अन्य माध्यम से आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन–पत्र का प्रारूप वन विभाग की वेबसाईट *www.forest.uk.gov.in* पर उपलब्ध है।

SD/-
मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ,
'वन मुख्यालय' पंचम तल, 85–राजपुर रोड़,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

वन विभाग, उत्तराखण्ड

विधिक सहायता (Legal Support) हेतु ''बार काउंसिल'' से पंजीकृत अधिवक्ताओं की पूर्णकालिक संविदा के आधार पर आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना

1– **पदों की संख्या** – 02 (दो) (पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है।)

2– **शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव** –

i. आवेदक अधिवक्ता के पास ''बार काउंसिल ऑफ इण्डिया'' द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

ii. भारत के किसी भी राज्य के ''बार काउंसिल'' में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

iii. अधिवक्ता के रूप में ''प्रैक्टिस'' करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

iv. सामान्य कानूनों के अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों यथा – भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम 2001, भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदि की पूर्ण जानकारी आवश्यक है।

3– **आयु** – अधिकतम 50 वर्ष (01–07–2017 की स्थिति पर)

4– **नियुक्ति की प्रकृति एवं समयावधि** –

अधिवक्ता की नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है तथा एक वर्ष के लिए है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर एक वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी एक माह के पूर्व ''नोटिस'' पर संविदा नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है।

5– **मानदेय** –

नियुक्त अधिवक्ताओं को प्रतिमाह रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये) मात्र मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

6– **आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज लगाये जाने आवश्यक हैं** –

i. हाईस्कूल का प्रमाण पत्र।
ii. विधि स्नातक का प्रमाण पत्र।
iii. ''बार काउंसिल'' द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
iv. ''बार काउंसिल'' और ''बार एसोसिएशन'' द्वारा जारी फोटो आदि।
v. ''बार एसोसिएशन'' द्वारा जारी अनुभव (न्यूनतम 05 वर्ष का) प्रमाण पत्र।

7– **नियुक्ति की प्रक्रिया** –

i. इच्छुक अधिवक्ता को विभाग द्वारा आवेदन के प्रारूप में ही आवेदन करना होगा, जो विभाग की ''वेबसाईट'' पर दिया गया है। आवेदन–पत्र दिनांक 31–03–2018 के अपराह्न 4:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आमंत्रित हैं। आवेदित लिफाफे के ऊपर ''विधिक सहायता'' हेतु आवेदन पत्र लिखा होना आवश्यक है।

ii. आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर सभी अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3643(1)/X–1–2017–14(06)/2000A दिनांक 13–12–2017 में उल्लिखित **साक्षात्कार समिति** की संस्तुति के आधार पर की जायेगी। अपूर्ण आवेदन–पत्रों को प्रथम दृष्ट्या अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके लिये सम्बन्धित अभ्यर्थी को कारण बताया जाना आवश्यक न होगा।

iii. साक्षात्कार के समय आवेदकों को अपने सभी मूल प्रमाण–पत्र दिखाने होंगे।

iv. ''प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड'' को अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये नियुक्ति की कार्यवाही को निरस्त कर सकेंगे।

8– **<u>विधिक सहायता हेतु रखे गये अधिवक्ताओं के दायित्व</u>** –

i. नियुक्त अधिवक्ताओं को वन विभाग द्वारा दिये जाने वाले सभी मामलों में विधिक सहायता/सलाह प्रदान करनी होगी।

ii. मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सहित अन्य न्यायालय/ट्रिब्यूनल में विभाग की ओर से प्रति शपथ पत्र तैयार करना, अन्य साक्ष्यों का संकलन कर पैरवी करना अथवा पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ताओं को वांछित सहायता प्रदान करना, सभी वैधानिक कार्यवाहियों का रिकार्ड रखना व अन्य विधि सम्बन्धी कार्य, जो उन्हें सौंपे जायेंगे, को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा।

iii. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को पूर्णकालिक आधार पर सेवायें देनी होंगी और वे संविदा की अवधि में अन्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लिप्त न हो सकेंगे।

iv. किसी भी अन्य जानकारी के लिए मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून के मोबाईल नम्बर– 9412057475 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन–पत्र

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ,
'वन मुख्यालय' पंचम तल, 85–राजपुर रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

फोटोग्राफ

विषयः– **विधिक सहायता हेतु आवेदन–पत्र।**

महोदय,

आपकी विज्ञप्ति संख्या.....दिनांक..... के क्रम में संविदा के आधार पर अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु मैं अपना आवेदन–पत्र बायोडाटा के साथ आपके विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मेरा बायोडाटा निम्नांकित हैः–

1– नाम –

2– पिता/पति का नाम–

3– जन्म तिथि–

4– पत्र व्यवहार का पता–

5– मोबाईल एवं लैण्डलाईन नं0–

6– ईमेल आईडी0–

7– स्थाई एवं स्थानीय निवास का पता–

8– पैन नं0–

9– शैक्षिक योग्यता का विवरण(हाई स्कूल एवं उससे उपर)–

10– बार काउंसिल में पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक–

11– विधि व्यवसाय का अनुभव (कब से और किस तरह के वादों का अनुभव रखते हैं)–

12– आधार नं0–

13– कोई अन्य योग्यता, यदि हो–

घोषणा

मैं..... एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनायें सत्य हैं एवं इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और मुझे कभी भी ''बार काउंसिल'' द्वारा दण्डित नहीं किया गया है और न ही मुझ पर ''प्रोफेशनल मिसकण्डक्ट'' का कभी कोई आरोप लगा है और न ही कभी किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी मामले में दण्डित किया गया है। मेरे द्वारा दी गई सूचना यदि कभी भी गलत पाई जाती है और उसके क्रम में मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

दिनांक –

मुहर के साथ अधिवक्ता के हस्ताक्षर
निवास पता तथा प्रैक्टिस का पता
चैबर नम्बर सहित

संलग्नकः– बायोडाटा में उल्लिखित क्रमांक 03, 08, 09, 10, 11 एवं 12 से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ।